



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: 472 -मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2017-64-मा०सं०प्र०-02/2001

दिनांक : 23 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 05.01.2017 को सम्पन्न 170वीं बैठक के एजेण्डा आइटम सं० 38 में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं० 140-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/12 दिनांक 14.03.2012 की समरूपता में पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में सीधी भर्ती से नियुक्त निम्नांकित पद पर निगम में कार्यरत आमेलित/संविनीन कार्मिकों को उनके सम्मुख स्तरम्-4 में यथा उल्लिखित उच्चकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	पद का नाम (आगमन बिन्दु)	पद का वेतनमान (दि० 01.01.1984 से प्रवृत्त वेतनमानों में)	तृतीय समयबद्ध वेतनमान (दि० 01.01.1996 से प्रवृत्त वेतनमानों में)
1	2	3	4
1	सहायक लेखाधिकारी (लागत)	रु० 2225-3500	रु० 16400-20000

2- उपरोक्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान प्रथमतः दिनांक 13.11.2008 से अनुमन्य होगा एवं अन्य कार्मिकों की अनुरूपता में तत्सम्बन्धित निर्गत आदेशों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारण समान स्तर पर होने की दशा में उसी स्तर पर अन्यथा अगले स्तर पर किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृति के पश्चात् निगम के कार्यालय ज्ञाप सं० 1748-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2010 दिनांक 04.09.2010 सपठित स्पष्टीकरण आदेश सं० 1889-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2010 दिनांक 07.09.2010 में निहित व्यवस्थायें प्रभावी करते हुए दिनांक 01.01.1996-अथवा 19 वर्ष की अनवरत् सेवा पूर्ण करने पर, जो भी बाद में हों, से प्रकल्पित वेतन निर्धारण किया जायेगा एवं दिनांक 19.07.2010 तक की अवधि का कोई भी अवशेष देय न होगा।

4- समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता विषयक समय-समय पर निर्गत संगत आदेशों में निहित प्राविधानों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०: 472 -मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2017, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/(वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ. आफिसर/निजी सचिव।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कमशः2



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

:: 2 ::

- (4) मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा(सोनभद्र)/अनपरा(सोनभद्र)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/पारीछा(झाँसी)।
- (5) मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/(ईंधन)/वाणिज्य/आर०एण्डएम०/(जानपद)/(जानपद नव -परियोजनाएँ), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (6) अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (7) मुख्य महा प्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (8) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 170वीं बैठक के एजेण्डा आइटम-38 पर लिए गये निर्णय के संबंध में।
- (9) महा प्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ✓(10) मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010।
- (11) उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (12) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (13) लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (14) सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

23.02.17

(डी०के० शर्मा)

अधिशासी अभियन्ता(02)